संख्या-43/2020/1916/86-2020-142/14

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांकः 26 अक्टूबर, 2020

विषयः-ईट-भट्ठों के संचालन पर ईट भट्ठा सत्र 2019-20 के लिए विनियमन शुल्क (Regulating Fees) पर ब्याज की देयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ईट भट्ठा सत्र 2019-20 (01.10.2019 से 30.09.2020) के लिए विभिन्न श्रेणियों के जनपदों के लिए पायेंवार साधारण भट्ठे तथा जिग-जैग भट्ठे के लिए विनियमन शुल्क के निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-2376/86-2019, दिनांक 26.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-7 के अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि दिनांक-31 मार्च 2020 तक जमा की गयी विनियमन शुल्क (Regulating Fees) की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।

2. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोविड-19 की महामारी के कारण प्रदेश में काफी संख्या में ईंट-भट्टा इकाईयों द्वारा संगत भट्ठा वर्ष के लिए विनियमन शुल्क समय से जमा नहीं किये जाने के कारण शासनादेश संख्या-675(2)/86-2020-1(216)/93, दिनांक-23.04.2020 द्वारा बिना ब्याज के विनियमन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.03.2020 के स्थान पर दिनांक 31.05.2020 निर्धारित किया गया है।

3. तदुपरान्त कोविड-19 के कारण ईंट भट्ठे का संचालन प्रभावित होना शासन के संज्ञान में लाया गया है और उ0प्र0 ईंट निर्माता समिति द्वारा उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत बिना ब्याज के विनियमन शुल्क दिये जाने की तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23.04.2020 में बिना ब्याज के विनियमन शुल्क जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 31.05.2020 के स्थान पर दिनांक 30.09.2020 निर्धारित किया जाता है। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीया,
डा0 रोशन जैकब
सचिव।

संख्याः 1916(1)/86-2020, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके संख्या-1159/एम-ईंट-भट्टा/2020-21, दिनांक 21.10.2020 के सन्दर्भ में।
4. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6. गाई फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in